



भारत सरकार / GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क – जयपुर

OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)

HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)

फोन न. : 0141- 2385359

स्थापना शाखा

फैक्स नं. : 0141- 2385222

स्थापना आदेश संख्या – 26 / 2022

दिनांक : 29.09.2022

संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 80/2022 दिनांक 28.09.2022 की अनुपालना में निम्नलिखित निरीक्षक श्रेणी में पदस्थापित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये अनुसार कार्यभार तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रदान किये जाते हैं :-

S. No.	Name of the Officer (S/Shri/Ms.) & Post	From	To
01	Sharwan Kumar, Inspector	UOP	Review, CGST & CE (Hqrs.), Jaipur

उक्त आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

— ६० —

(डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)
दिनांक:-29.09.2022

फा.सं.: II-03(03)स्था./जेपीआर/निरी./2019/पार्ट 1766

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त आयुक्त (सी.सी.ओ.), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. अपर/संयुक्त आयुक्त (तक./विधि/कर अपवंचना), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
3. प्रशा. अधिकारी (डी.डी.ओ.), के.व. एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
4. व्यक्तिगत प्रति/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/सेवा पुस्तिका।
5. विभागीय वेबसाईट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।

ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी
29/09/22
संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)